कार्यालयः– अंचल अधिकारी, सिमरिया।

विविध वाद सं0–..03../2021

नरेश सिंह वगैरह, ग्राम–बगरा, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

बनाम

बुटन साव, पिता–स्व0 चुल्हन साव, ग्राम–बगरा, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा ।

–:आदेशः–

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3
	प्रस्तुत वाद का संधारण प्रथम पक्ष श्री नरेश सिंह, पिता–स्व0 रूद्रनारायण सिंह ग्राम–बगरा के आवेदन पत्र पर किया गया है। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पत्र पर राजस्व उपनिरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि बदलैन से संबंधित है। दोनों पक्षों को अंचल कार्यालय के द्वारा नोटिस भेज कर राजस्व कागजात की मांग की जा सकती है। तद्नुसार दोनों पक्षों को मूल कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु प्रशासनिक नोटिस निर्गत किया गया। दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए, अपने–अपने कथन के समर्थन में कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया। उभय पक्ष द्वारा कारण पृच्छा भी समर्पित किया गया। इस वाद को विविध वाद में परिणत कर सुनवाई की गई। राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक, सिमरिया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक श्री नरेश सिंह ग्राम–बगरा के द्वारा खाता सं0–62 प्लॉट सं0–221 रकबा–0.82 ए0 भूमि केवाला सं0–189 दिनांक–06.04.1945 ई0 के माध्यम से भूमि का मधे रकबा–0.41 ए0 की खरीद की गई है। जिसका सरकारी रसीद समिलात खाता सं0–30,62 वगैरह के साथ पंजी–II की पृष्ठ सं0–35/2 पर राजदीप नारायण सिंह वगैरह पिता–तुलसी सिंह के नाम से निर्गत हो रही है। शेष रकबा–0.41 ए0 भूमि पर श्री नरेश सिंह वगैरह का दखल कब्जा है। स्थलीय जाँचोपरान्त ग्रामिणों के द्वारा बताया गया कि उक्त रकबा–0.41 ए0 भूमि का अदला–बदली श्री बुटन साव वगैरह के साथ किया गया था। प्रश्नगत भूमि का बदले में आवेदक श्री नरेश सिंह के पूर्वज द्वारा द्वितीय पक्ष के पूर्वज को खाता सं0–44, प्लॉट सं0–758, रकवा 0.28 एवं प्लॉट 809 रकवा 0.18 ए0 कुल रकवा–0.46 ए0 भूमि बदलेन वर्ष–1945 में दी गई थी, जिसका बदलेननामा की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न है। बदलेननामा भूमि का जमाबन्दी पूर्व जमाबन्दी रैयतों के नाम से ही	

Scanned by CamScanner

चल रहा है। बदलैन के वर्ष से ही उक्त भूमि दोनों पक्ष अपने–अपने बदलैन भूमि पर दखल–कब्जा है। परन्तु फिलहाल से उक्त भूमि पर विवाद हो रहा है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है, कि प्रश्नगत विवादित भूमि बदलेननामा के आधार पर प्रथम पक्ष का लगभग 75 वर्षो चाहरदीवारी एवं मकान बनाकर एंव शेष भूमि पर फसल उगाकर उपयोग किया जा रहा है एवं द्वितीय पक्ष के वंशजों द्वारा भी बदलेननामा भूमि पर शंतिपूर्ण दखल कब्जे में है।

राजस्व उपनिरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतित होता है की पूर्व से बदलेननामा भूमि में कोई विवाद नही होना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों एवं राजस्व उपनिरीक्षक अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर प्रथम पक्ष का दावा को स्वीकृत की जाती है एवं द्वितीय पक्षों के दावा को अस्वीकृत किया जाता है। दोनो पक्ष पूर्व के बदलेननामा के आधार पर काबीज रहेगें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में आपना दावा पेश कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
सिमरिया।

अंचल अधिकारी
सिमरिया।

Digitally signed by GOURAV KUMAR ROY
Date: 2024.12.31 09:18:03 +05:30
Location: 192.168.98.52

Scanned by CamScanner